

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या- 3/कू0बजट-आवंटन-25/2016- 203 जग/201 /कू0 पटना, दिनांक 16/3/2017

प्रेषक,

प्रभु राम बि.प्र.से,
निदेशक प्रशासन -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण मुख्यालय,
बिहार, पटना।

विषय : केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 09,07,00,000/- लाख (नौ करोड़ सात लाख) रु0 (60%) एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 06,04,70,000/- (छः करोड़ चार लाख सत्तर हजार) रु0 (40%) कुल 15,11,70,000/- रु0 (पंद्रह करोड़ ग्यारह लाख सत्तर तैतीस हजार) रु0 में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 {केन्द्रांश 3,11,20,000/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) रु0 एवं राज्यांश 2,07,50,000/- (दो करोड़ सात लाख पचास हजार) रु0} वर्ष 2016-17 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या 1132 दि0 09.03.2017 द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 09,07,00,000/- लाख (नौ करोड़ सात लाख) रु0 (60%) एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 06,04,70,000/- (छः करोड़ चार लाख सत्तर हजार) रु0 (40%) कुल 15,11,70,000/- रु0 (पंद्रह करोड़ ग्यारह लाख सत्तर तैतीस हजार) रु0 में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 {केन्द्रांश 3,11,20,000/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) रु0 एवं राज्यांश 2,07,50,000/- (दो करोड़ सात लाख पचास हजार) रु0} वर्ष 2016-17 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त हुई है। व्यय हेतु कुल स्वीकृत राशि 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 मात्र को आवंटित किया जाता है।

2. कुल आवंटित अनुसूचित जाति वर्ग की राशि 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 में से केन्द्रांश की राशि 3,11,20,000/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) रु0 का व्यय मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0202 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम. पी.) विपत्र कोड- P2402007890202 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि 20,00,00,000/- रु0 से विकलनीय होगा।

3. कुल आवंटित अनुसूचित जाति वर्ग की राशि 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 में से राज्यांश की राशि 2,07,50,000/- (दो करोड़ सात लाख पचास हजार) रु0 का व्यय मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम. पी.) विपत्र कोड- P2402007890302 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि 13,33,30,000/- रु0 से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक- 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 दि0 एवं पत्रांक- 4572 वि0 (2) दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दी जाती है। आवंटित राशि अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसायटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी।

5. इस योजना के स्वीकृतिपत्र में निहित शर्तों / निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय।

6. व्यय के बाद टी0भी0 न0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक प्रशासन -सह- अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 203 आवंटन

/भू0सं0, पटना, दिनांक 16/3/2017

प्रति :- 1. महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह- अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 203 आवंटन

/भू0सं0, पटना, दिनांक 16/3/2017

प्रति :- 1. श्री अमित कुमार, निदेशक (ज0वि0) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/ विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कृषि निदेशक, बिहार/ निदेशक, उद्यान, बिहार/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/ सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/ सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/ उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, मुख्यालय -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/ एवं लेखा शाखा भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन -सह- अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।